न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
18/2024	14.06.2024	29.8.2025

रूपसिंह पुत्र रामसहाय, गुर्जर निवासी सहजपुर तह0 गंगापुर सिटी
—प्रार्थिया

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील तलावडा —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री रूपसिंह गुर्जर, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी ख0न0 288 रकबा 0.28 है0, ख0न0 418 रकबा 1.05 है0, ख0न0 516 रकबा 1.25 है0, ख0न0 79 रकबा 0.93 है0 ग्राम सहजपुर तह0 गंगापुर सिटी मे स्थित है। जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/5 है। प्रार्थी का नाम रूपसिंह पुत्र रामसहाय है जो प्रार्थी के समस्त शैक्षिणिक दस्तावेजों, आधार कार्ड, राशनकार्ड, पैन कार्ड फोटो पहचान पत्र इत्यादि मे दर्ज है। प्रार्थी के पिता स्व0 रामसहाय का देहान्त के बाद प्रार्थी के नाम नामान्तकरण खोलते समय पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी का नाम रूप सिंह के स्थान पर बबरी पुत्र रामसहाय अंकित कर दिया। तदानुसार समस्त राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण के मुताबिक वादी का नाम रूप सिंह के स्थान पर ववरी हो गया जबकि रूप सिंह व ववरी दोनो ही नाम वादी के है किसी दीगर व्यक्ति के नहीं है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रूप सिंह के स्थान पर ववरी दर्ज हो जाने के कारण वादी किसानों को देय फायदों से वंचित हो रहा है। खाद् बीज, सब्सीडी, किसान निधि, इत्यादि प्राप्त करने में वादी को गम्भीर रूप से बाधा पैदा हो रही है एवं वादी उक्त लाभो से वंचित हो रहा है। विधिनुसार वादी राजस्व रिकार्ड में गलती से रूप सिंह के स्थान पर ववरी दर्ज हुए नाम को तदानुसार संशोधित करवाने का अधिकारी है। दिनांक 19.01.2024 को वादी द्वारा किसानों को होने वाले लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष प्रस्तुत किया परन्तु नामों में भिन्नता होने के कारण तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा वादी के आवेदन पत्र यह कहकर लोटा दिया कि पहले विधिनुसार अपना नाम संशोधित करों तभी आपकों किसानो को देय लाभो का भुगतान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में दावा वादी पेश करना लाजमी पैदा हुआ। अतः दावा पेश कर निवेदन [illegible] दावा स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 288 रकबा 0.2800 है0, 418 रकबा 1.05 है0, 516 रकबा 1.25 है0, 79 रकबा 0.93 है0 कुल किता [illegible] कुल रकबा 3.5100 है0 ग्राम सहजपुर तहसील गंगापुर सिटी की राजस्व [illegible]माबंदी, गिरदावरी, नक्शा ट्रेस व अन्य सम्बन्धित सभी दस्तावेजो में बतौर खातेदार वादी का नाम ववरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:23:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

के स्थान पर रूप सिंह पुत्र रामसहाय संशोधित किये जाने के आदेश फरमाये जावे, व इस बाबत तहसीलदार गंगापुर सिटी को तहरीर जारी की जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी संवत 2071-74 खाता संख्या 12 ग्राम सहजपुर, फोटोकॉपी पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा, फोटोकॉपी जनआधार कार्ड, फोटोकॉपी राशन कार्ड, फोटोकोपी आधार कार्ड, फोटोकोपी मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत किये है तथा शपथ पत्र चिरंजी गुर्जर पुत्र रामसहाय, रामराज पुत्र श्रीनारायण जाति गुर्जर निवासी सहजपुर तहसील गंगापुर सिटी प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी को तलब किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट चाही गई।

अप्राथी तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से उनके पत्र क्रमांक राजस्व/24/3723 दिनांक 12.07.2025 के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके साथ पटवारी हल्का खूंटला सलोना की मूल रिपोर्ट भी संलग्न की गई है।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करवाए जाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी रूपसिंह पुत्र रामसहाय गुर्जर से प्राप्त दस्तावेजो यथा टी0सी0 रा0उ0मा0वि0 गण्डाल, बामनवास व आधार कार्ड के अनुसार प्रार्थी का नाम रूपसिंह पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर दर्ज है। साविक रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी का नाम ववरी पुत्र रामसहाय गुर्जर है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों जनआधार, पहचान पत्र आदि मे प्रार्थी का नाम ववरी गुर्जर पुत्र रामसहाय गुर्जर है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है कि प्रार्थी के पिता का देहान्त होने के पश्चात प्रार्थी के नाम नामान्तकरण खोलते समय पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी का नाम रूपसिंह के स्थान पर ववरी पुत्र रामसहाय अंकित कर दिया है अर्थात प्रार्थी को इस प्रकरण नामान्तकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी परन्तु प्रार्थी द्वारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो नियमानुकूल नही है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों मे प्रार्थी का नाम ववरी गुर्जर ही दर्ज है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होने के बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:23:32 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 29.8.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0) सत्यमेव जयते

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)